

सेवा में,

प्रभारी, वित्त एवं लेखा,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन,
दिल्ली - 110032

विषय: त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन - पत्र

महोदय,

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27012/1/2014-स्था. (भत्ते) के संदर्भ में, मैं 4500/-रूपये (चार हजार पाँच सौ रूपये मात्र) त्यौहार अग्रिम लेना चाहता/चाहती हूँ। कृपया उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान करें। त्यौहार अग्रिम की पात्रता 4800/-रूपये के ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों के लिए देय है। त्यौहार अग्रिम नियम 53 एवं 58 में संशोधित राशि उल्लिखित है। किस्तों की संख्या 10 होगी जिसकी 450/-रूपये प्रतिमाह की दर से कटौती की जाएगी इससे संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :-

01. नाम :
02. पदनाम :
03. ग्रेड वेतन :
04. कर्मचारी संख्या (सी.पी.संख्या) :
05. मांगी गयी अग्रिम धनराशि :
06. त्यौहार जिसके लिए अग्रिम चाहिए:
07. किस्तों की संख्या :
08. क्या आप स्थाई/स्थायी/अस्थायी :
कर्मचारी हैं ?
09. क्या चालू वर्ष में या उससे पहले ली :
गई किसी अग्रिम में से कुछ राशि
चुकानी बाकी है?

भवदीय,

()

दिनांक :

सी.पी.नं.

बैंक खाता संख्या.....

टिप्पणी: कृपया त्यौहार अग्रिम के लिए 15 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है।